सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

Case File No. NCST/ATY-527/MP/2/2022-APCR Dated: 06.12.2023

To

Shri. Virendra Singh
Superintendent of Police,
O/o the Superintendent of Police, Civil Lines,
Khandwa, Madhya Pradesh 450001
Email Id: spokhd@nic.in

Subject: **Field Visit Report of the Investigation Team of the Commission conducted on 11.08.2023 in the matter of News report published in Hindustan newspaper: "Dead bodies of 3 tribal sisters found hanging from a tree in Khandwa, whether they committed suicide or were killed and hanged?".**

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Field Visit Report of the Investigation Team consisting of Shri Ankit Kumar Sen, Research Officer and Ms. Amrita Solanki, Senior Investigator, National Commission for Scheduled Tribes constituted to investigate the matter on the subject cited above for information.

Encl: as above

Yours faithfully,

(एच.आर. मीना / H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer

NCST - NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल क्रमांक NCST/ATY-527/MP/2/2022-APCR

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम कोटाघाट में की गयी स्थलीय जांच का विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं सुश्री अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.08.2023 को मध्यप्रदेश के जिला खंडवा (पूर्वी निमाड़) के ग्राम कोटाघाट (थाना जावर) में हिंदुस्तान' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक 'खंडवा में 3 आदिवासी बहनों का शव पेड़ से लटका मिला, ख़ुदकुशी की या मारकर फंदे से टांग दिया?' के प्रकरण में स्थलीय जांच की गई।

आयोग द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही -

- आयोग द्वारा इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया गया एवं दिनांक 04.08.2022 को जिला कलेक्टर, खंडवा एवं पुलिस अधीक्षक, खंडवा को प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु नोटिस भेजा गया।
- दिनांक 12.08.2022 को पुलिस अधीक्षक, खंडवा का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन के अनुसार तीनों बहनों ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की है तथा प्रकरण में किसी अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है।
- जांच रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात जिला कलेक्टर, खंडवा एवं पुलिस अधीक्षक, खंडवा को आयोग द्वारा दिनांक 12.04.2023 आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया।
- इसी बीच पुलिस अधीक्षक, खंडवा का दिनांक 10.04.2023 का जांच प्रतिवेदन प्राप्त पुनः हुआ। पत्र में आयोग को अवगत कराया गया कि प्रकरण के संबंध में एफ़एसएल विसरा जांच में भी रसायनिक विष नहीं होना लेख है तथा प्रकरण में एफ़एसएल जांच रिपोर्ट, परिस्थितियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों से मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है।
- दिनांक 12.04.2023 को आयोग की बैठक न होने के कारण दिनांक 15.06.2023 को संबन्धित अधिकारियों को पुनः समन जारी किए गए।
- दिनांक 15.06.2023 को प्रकरण में आयोग की बैठक हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाए की गईं -

- पुलिस अधीक्षक, खंडवा को घटना के सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की दोबारा जांच करनें को कहा गया।
- पुलिस अधीक्षक, खंडवा को पोस्टमार्टम और मामले से संबंधित रिपोर्ट, ऑडियो, वीडियो, तस्वीरें और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
- जिला कलेक्टर, खंडवा को लड़कियों की मां को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत मुआवजा और लाभ प्रदान किया जाने के निर्देश दिये गए।
- आयोग की जांच टीम को घटना स्थल का दौरा करने हेतु निर्देशित किया गया।

➢ आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं की अनुपालना में श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं सुश्री अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली को जॉच दल मे सम्मिलित कर जॉच दल का गठन किया गया।

जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही-

➢ दिनांक 11.08.2023 को जांच दल द्वारा खंडवा जिले के ग्राम कोटाघाट में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घाना स्थल मृतकाओं के घर से लगभग 80-100 मीटर की दूरी पर था तथा आसपास मृतकाओं के रिश्तेदारों के घर थे।

➢ चर्चा के दौरान पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों की पुष्टि हुई। मृतकाओं की माँ ने बताया कि लड़कियों के पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था। शादी का बाद बड़ा भाई अलग रहने लगा और सबसे बड़ी लड़की परिवार की देखभाल करने लगी। लड़कियों ने त्योहार मनाने के लिए अपनी भाभी से गेहूं मांगा, लेकिन उसने गेहूं देने से इनकार कर दिया। घटना के दिन लड़कियां सामान लेने मोटरसाइकिल से हाट गई थी तथा रात को अंदर सो रही थी। माँ की नींद खुली तो उसने घर का दरवाजा खुला देख लड़कियों को आवाज लगाई। कोई उत्तर न मिलने पर जाकर देखा तो लड़कियां बिस्तर पर नहीं थी। माँ ने बाहर देखा तो पाया कि सामने पेड़ पर तीनों लड़कियों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।

➢ शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण "एंटी-मॉर्टम हैंगिंग के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है" बताया गया है।

जांच दल का विश्लेषण :-

प्रकरण में पुलिस की जांच में आए तथ्य, घटना स्थल के निरीक्षण, परिजनों व ग्रामीणों से की गयी बातचीत के आधार यही प्रतीत होता है कि लड़कियों द्वारा पारिवारिक तथा परिस्थिति जन्य कारणों से आत्महत्या की गई है तथा हत्या किए जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

दिनांक 04.12.2023

(अंकित कुमार सेन)
अनुसन्धान अधिकारी

(अमृता सोलंकी)
वरिष्ठ अन्वेषक